कार्यालय : सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),तृतीय मण्डल,बरेली।

पत्रॉक–बेसिक / 6303-04 /2022–23 दिनॉक– 02-11-2022

प्रबन्धक
यूनिटी कावेंट स्कूल,
विकास खण्ड–कॉट,
जनपद–शाहजहॉपुर

विशय– यूनिटी कावेंट स्कूल विकास खण्ड–कॉट, जनपद शाहजहॉपुर की कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) की स्थाई मान्यता के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनॉक–08.05.2013 में निहित प्राविधानों एवं मानकों को पूर्ण किये जाने के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहॉपुर के पत्रॉक–अ0स0/मान्यता/27563–67/2018–19 दिनॉक–28.12.2018 द्वारा आपके विद्यालय को दिनॉक–01.04.2019 से 31.03.2022 तक कक्षा एन0सी0 से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) तीन वर्ष के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तत्सम्बन्धी संलग्नकों के माध्यम से विद्यालय के नवीनीकरण हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि स्थाई मान्यता के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनॉक–08.05.2013 के प्रस्तर 15 के अनुसार औपबन्धिक मान्यता अवधि में मान्यता की शर्तो का उल्लघंन सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गई है। उपरोक्तानुसार प्रबन्धक, यूनिटी कावेंट स्कूल विकास खण्ड–कॉट, जनपद शाहजहॉपुर को निर्देशित किया जाता है कि मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं शर्तो का अनुपालन अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाये। भविष्य में कोई त्रुटि अथवा असत्यता पाये जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(गिरवर सिंह)
सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
तृतीय मण्डल,बरेली।

पृ0सं0–बेसिक / /2022–23 दिनॉकित।
प्रतिलिपि–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहॉपुर को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
तृतीय मण्डल,बरेली।